तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 166/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/292) बअनवान पुखराज व अन्य बनाम देवाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

पुखराज व अन्य

बनाम

देवाराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या दो

आदेश

दिनांक 08 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2024 अनवान पुखराज व अन्य बनाम देवाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 25 जूलाई 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 29 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 169/1 रकबा 26.09 बीघा, खसरा नंबर 169 रकबा 26.10 बीघा ग्राम सुरपुरा अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या एक की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका आज दिनांक तक विधिवत्त बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा न ही नक्शे में तरमीम हुई है। मौके पर उभय पक्षकारान् का संयुक्त कब्जा काश्त है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है। रेस्पोडेंट्स बिना विधिवत विभाजन करवाये वादग्रस्त आराजी के बेचान/हस्तांतरण पर आमादा है। यदि वे अपने इस उद्धेश्य में सफल हो जाते है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होगी। विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट्स के पक्ष

	में मानते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 जूलाई 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे। जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के तत्कालीन खातेदार मेहराम एवं सुरजा द्वारा आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन कर लिया गया था तथा तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 16.02.1973 की पालना में नामांतरकरण संख्या 50 दिनांक 25.02.1973 स्वीकृत किया जाकर खाते अलग-अलग किये गये। उभय पक्ष उक्त बंटवाड़े के अनुसार वक्त विभाजन से ही मौके पर अलग-अलग काबिज काश्त है। अपीलांट्स की ओर से सन् 2006 में वसीयत के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत करवाया था, जिससे अपीलांट्स को उक्त बंटवाड़े की जानकारी शुरूआत से ही रही है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का पूर्व में विधिवत्त विभाजन हो जाने से अपीलांट्स द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आघोपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 166/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/292) बअनवान पुखराज व अन्य बनाम देवाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	बंटवाड़ा दिनांक 16.02.1973 की प्रति एवं नामांतरकरण संख्या 50 ग्राम सुरपुरा के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात मूल खसरा नंबर 169 रकबा 52.19 के तत्कालीन खातेदार मेहराम पुत्र सिमरथ एवं सुरजा पुत्र रूपा द्वारा तहसीलदार जोधपुर के समक्ष आपसी सहमति बंटवाड़ा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन करवाया जाना पाया जाता है, जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 50 दिनांक 25.02.1973 स्वीकृत किया जाना पाया जाता है। उक्त विभाजन से खसरा नंबर 169 रकबा 26.10 बीघा खातेदार मेहराम के नाम तथा खसरा नंबर 169मी.(169/1) रकबा 26.09 बीघा खातेदार सुरजाराम के नाम से दर्ज किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध वसीयतनामा 21.07.1988 जो खातेदार सुरजाराम के द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसमें खसरा नंबर 169/1 रकबा 26.09 बीघा को स्वयं की खातेदारी का खसरा बताया गया है। इन तथ्यों से साबित है कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में विधिवत्त विभाजन हो चुका है। कानूनन विधिवत रूप से विभाजित भूमि के संबंध में पुनः विभाजन का वाद पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उक्त सभी तथ्यों पर विस्तृत विवेचन उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 जुलाई 2024 यथावत रखा जाता है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	